(11)

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए0 वाद सं0–07/2005–06

शिवशंकर गुप्ता
बनाम
नीलकंठ पाल एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
29.06.2012	**आदेश** यह अपील वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा आर0ई0आर0 वाद सं0–34/2003–04 में दिनांक 23.12.2005 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं इनके द्वारा दाखिल लिखित बहस को देखा। इनका कहना है कि मौजा– आमड़ापाड़ा के जमाबन्दी सं0–06 के दाग सं0–1068 की भूमि सर्वे खतियान में कालीचरण पाल के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता के द्वारा खतियानी रैयत कालीचरण पाल के पुत्री गुजिया कुम्हारिन के सहमति पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत मौजा आमड़ापाड़ा के दाग सं0–1068 की 7½ डीसमील भूमि को बसौड़ी हेतु अधिग्रहण करने से संबंधित आवेदन दिनांक 29.08.1967 को विज्ञ अपर समाहर्त्ता, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में दिया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में रे0मिस0वाद सं0–45/1967–68 संस्थित कर अपीलकर्त्ता के आवेदन पर अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था। अंचलाधिकारी ने अपने पत्रांक 1141/आर0 दिनांक 30.10.1967 के द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि वे स्वयं अंचल निरीक्षक के साथ जांच किया जिसमें गुजिया कुम्हारिन को उनके पति के छोड़कर उनका कोई नहीं रहने का प्रतिवेदन दिया गया था। दोनों के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था कि यदि वर्णित भूमि बसौड़ी के लिए अधिग्रहित कर बन्दोवस्ती की जाती है तो उन लोगों का कोई आपत्ति नहीं है। तदोपरान्त उच्चाधिकारी के आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.67 को विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत भूमि के	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव दिया गया था। जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में एल0ए0 वाद सं0– 37/1967–68 संस्थित कर विधिवत गुनजिया कुम्हारिन एवं मौजा के 16 आना रैयतों को आपत्ति के संबंध में नोटिस निर्गत किया गया था। गुजिया कुम्हारिन एवं उनके पति द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अनपत्ति संबंधी आवेदन देकर जमीन की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्राप्त किया गया था। इनका यह भी कहना है कि न्यायालय में एक गोपाल पाल एवं मुकुन्द पाल दोनों के द्वारा गुजिया कुम्हारिन का पुत्र होने का दावा करते हुए भूमि के अधिग्रहण के विरूद्ध आपत्ति आवेदन दिनांक 15.05.1968 को दिया गया था। परन्तु बाद में अपना आपत्ति आवेदन को वापस ले लिया गया था। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा सभी प्रकिया को पूरा करते हुए दिनांक 28.05.1968 को भूमि अधिग्रहण करते हुए दखल का आदेश अपीलकर्त्ता को दिया गया था। इस आदेश के विरूद्ध उपायुक्त, संथाल परगना, दुमका के न्यायालय में रेम0मिस0अपील वाद सं0–23/68–69 अधिग्रहण के विरूद्ध अपील दायर किया गया था। जिसपर निम्न न्यायालय द्वारा अधिग्रहित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया गया। इस आदेश के विरूद्ध माननीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल के समक्ष रिवीजन वाद सं0–71/68–69 दायर किया गया था। उस रिवीजन वाद में माननीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल द्वारा दिनांक 24.02.1969 को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखने का आदेश पारित किया गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वर्णित भूमि पर अपीलकर्त्ता मकान बनाकर रह रहे है एवं उनके दखल में है। जमीन कृषि भूमि से बसौड़ी में परिणत हुआ है। जमीन का अधिग्रहण वर्ष 1968 में हुआ है। उपायुक्त, दुमका एवं आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल द्वारा अधिग्रहण को सम्पुष्ट किया गया है। अधिग्रहण के एवज में जमीन के खतियानी रैयत के पुत्री को अधिग्रहण किये गये वर्णित भूमि का क्षतिपूर्ति मुवाअजा रू0–216 का भुगतान किया गया है तथा जमीन प्राप्तकर्त्ता के नाम से दाखिल–खारिज भी हो चुका है। उत्तरकारियों के द्वारा यह वाद 30 वर्षो के बाद उठाया गया है, जो कालबाधित है। वर्ष 2001 में वर्णित जमीन पर द0प्र0स0 की धारा–144 के

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

तहत अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में वाद चला था। जिसमें अपीलकर्त्ता के पक्ष में आदेश दिया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत् केवल आयुक्त ही अपने पूर्व समकक्ष पदाधिकारी के आदेश का ही रिभ्यु कर सकते है। अनुमंडल पदाधिकारी को अपने पूर्व समकक्ष पदाधिकारी के आदेश को उपायुक्त या आयुक्त के आदेश के बिना रिभ्यु नहीं कर सकते है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत अधिग्रहित के विरूद्ध अपील दायर करने की अवधि एक वर्ष ही है। इनके द्वारा उत्तरकारियों के दावे को कालबाधित बताते हुए पी0एल0जे0आर0 1999 पेज 605 (धानी मांझी बनाम रांगा मांझी) का हवाला देते हुए कहा गया कि जन जाति के लिए 12 वर्ष एवं 30 वर्ष गैर आदिवासी के लिए है। दोनों पक्ष गैर आदिवासी है एवं वाद 24.01.2003 को दायर हुआ है जो 35 वर्ष के बाद है एवं कालबाधित है।

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 20 के संबंध में हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि कृषि भूमि को बसौड़ी भूमि में परिणत किया गया है तो यह हस्तान्तरणीय है। इस संबंध में जे0सी0आर0 2003 (3) पेज 230 झारखण्ड उच्च न्यायालय का हवाला दिया गया है। धारा 42 के तहत कृषि भूमि से उच्छेद किया जा सकता है। बसौड़ी भूमि से उच्छेद नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस वाद में धारा– 42 लागू नहीं होगा। धारा–32 के तहत बन्दोवस्त के एक वर्ष के अन्दर आपत्ति देने के प्रावधान है। लेकिन आपत्ति आवेदन 35 वर्ष के बाद दिया गया है। धारा 33 के संबंध में कहा गया कि यह धारा कृषि योग्य भूमि पर लागू है बसौड़ी भूमि पर नहीं।

अपीलकर्त्ता का कहना है कि वर्णित जमीन पर अपीलकर्त्ता सपरिवार घर बनाकर रह रहे है तथा दाखिल खारिज कराकर लगान का भी भुगतान कर रहे है।

इनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा आर0ई0आर0 वाद सं0– 34/2002–03 में दिनांक 23.12.2005 को दिये गये पारित आदेश को नियम विरूद्ध बताते हुए उसे निरस्त करते हुए अपील आवेदन को मंजूर करने का अनुरोध किया गया है।

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का इस्ताक्षर
1	2
	उत्तरकारी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के समय उपस्थित नहीं। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुनते हुए उत्तरकारियों के विज्ञ अधिवक्ता को लिखित बहस दाखिल करने का आदेश दिया गया था। लेकिन उनके द्वारा लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर उत्तरकारियों का दावा है कि उनके द्वारा मौजा आमड़ापाड़ा के जमाबन्दी नं0–6 के दाग नं0–1068 के रकवा 0–4–10 धूर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में आर0ई0आर0 वाद सं0–34/2002–03 दायर किया गया था। खतियानी रैयत कालीचरण पाल का मृत्यु पत्नि कल्पना पाल एवं पांच पुत्रियां कमशः जानकी दासी, मेधनी दासी, बुधनी दासी, गुजिया दासी एवं होलिया देवी खतियानी रैयत के हिस्सेदार है। निम्न न्यायालय में उत्तरकारियों के आवेदन में उल्लेख है कि गुजिया दासी उर्फ देवी का कोई संतान नहीं था। गुजिया दासी एवं उनका पति का देखभाल उत्तरकारी नं0–2 पूरन पाल करते थे। इन लोगों के सेवा के एवज में गुजिया दासी के हिस्से का जमीन अपने जीवन काल में पूरन पाल को दिया गया है। पूरन पाल द्वारा उनलोगों के मरणोपरान्त तक सेवा करते हुए अन्तिम संस्कार आदि कार्य किया गया है। इसलिए इसका हक बनता है। अपीलकर्त्ता (निम्न न्यायालय के विपक्षी) बाहरी व्यक्ति है। खतियानी रैयत कालीचरण पाल के साथ कोई संबंध नहीं है। वर्णित भूमि पर उत्तरकारी का दखल–कब्जा है। वर्ष 2001 में अपीलकर्त्ता के द्वारा जबरदस्ती झोपड़ी बनाया गया था। जिसपर अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में धारा–144 द0प्र0स0 के तहत् क्रिमिनल केस नं0–147/2001 चला था। जिसमें गलत रूप से अपीलकर्त्ता के पक्ष में आदेश देते हुए विपक्षी के पक्ष में वर्णित जमीन पर जाने का बाधित आदेश दिया गया था। वर्णित भूमि के अधिग्रहण के विषय पर कहा गया कि न उत्तरकारियों (निम्न न्यायालय के आवेदक) को और न उनलोगों के मां को एल0ए0 केस में पक्षकार नहीं बनाया गया था और न उनलोगों को कोई जानकारी दी गई थी। जमीन अधिग्रहण के बाद न शंकर प्रसाद गुप्ता और न उनका हिस्सेदार वर्णित जमीन के दखल में रहे। भूमि का अधिग्रहण एल0ए0 केस नं0– 37/1967–68 में हुआ है। जबकि उनलोगों की मां एक साथ दखल में थे। उत्तरवादियों का कहना है कि अपीलकर्त्ता 2001

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

उत्तरकारी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के समय उपस्थित नहीं हुए। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुनते हुए उत्तरकारियों के विज्ञ अधिवक्ता को लिखित बहस दाखिल करने का आदेश दिया गया था। लेकिन उनके द्वारा लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर उत्तरकारियों का दावा है कि उनके द्वारा मौजा आमड़ापाड़ा के जमाबन्दी नं0–6 के दाग नं0–1068 के रकवा 0–4–10 धूर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में आर0ई0आर0 वाद सं0–34/2002–03 दायर किया गया था। खतियानी रैयत कालीचरण पाल का मृत्यु पत्नि कल्पना पाल एवं पांच पुत्रियां क्रमशः जानकी दासी, मेधनी दासी, बुधनी दासी, गुजिया दासी एवं होलिया देवी खतियानी रैयत के हिस्सेदार है। निम्न न्यायालय में उत्तरकारियों के आवेदन में उल्लेख है कि गुजिया दासी उर्फ देवी का कोई संतान नहीं था। गुजिया दासी एवं उनका पति का देखभाल उत्तरकारी नं0–2 पूरन पाल करते थे। इन लोगों के सेवा के एवज में गुजिया दासी के हिस्से का जमीन अपने जीवन काल में पूरन पाल को दिया गया है। पूरन पाल द्वारा उनलोगों के मरणोपरान्त तक सेवा करते हुए अन्तिम संस्कार आदि कार्य किया गया है। इसलिए इसका हक बनता है।

अपीलकर्त्ता (निम्न न्यायालय के विपक्षी) बाहरी व्यक्ति है। खतियानी रैयत कालीचरण पाल के साथ कोई संबंध नहीं है। वर्णित भूमि पर उत्तरकारी का दखल–कब्जा है। वर्ष 2001 में अपीलकर्त्ता के द्वारा जबरदस्ती झोपड़ी बनाया गया था। जिसपर अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में धारा–144 द0प्र0स0 के तहत् क्रिमिनल केस नं0–147/2001 चला था। जिसमें गलत रूप से अपीलकर्त्ता के पक्ष में आदेश देते हुए विपक्षी के पक्ष में वर्णित जमीन पर जाने का बाधित आदेश दिया गया था। वर्णित भूमि के अधिग्रहण के विषय पर कहा गया कि न उत्तरकारियों (निम्न न्यायालय के आवेदक) को और न उनलोगों के मां को एल0ए0 केस में पक्षकार नहीं बनाया गया था और न उनलोगों को कोई जानकारी दी गई थी। जमीन अधिग्रहण के बाद न शंकर प्रसाद गुप्ता और न उनका हिस्सेदार वर्णित जमीन के दखल में रहे। भूमि का अधिग्रहण एल0ए0 केस नं0– 37/1967–68 में हुआ है। जबकि उनलोगों की मां एक साथ दखल में थे। उत्तरवादियों का कहना है कि अपीलकर्त्ता 2001

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

तक जमीन के दखल में नहीं रहे है। जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–53(6) के तहत् नहीं है। इस धारा के संबंध में कहा गया कि अधिग्रहित भूमि को जिस कार्य के लिए लिया गया हो और उसका उपयोग उसके लिए नहीं किया गया हो तो उपायुक्त को यह अधिकार है कि उस आदेश को पुनर्जीवित कर मूल रैयत या उसके हिस्सेदार को जमीन वापस कर सकता है। अथवा जमीन मालिक या हिस्सेदार के न रहने पर उक्त जमीन को मौजा के रैयतों के साथ बन्दोवस्ती कर सकते है।

उत्तरकारियों के आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्त्ता भूमिहीन नहीं है। इनलोगों का व्यवसाव का कारोबार है। वर्णित जमीन खतियान में धानी तृतीय श्रेणी का अहस्तान्तरणीय जमीन है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सूना तथा अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारियों के द्वारा दाखिल कागजातों तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया।

इस अपील वाद के अध्ययन कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि मौजा– आमड़ापाड़ा थाना–पाकुड़, जिला–पाकुड़ के जमाबन्दी नं0–6 के दाग नं0–1068 का आंशिक रकवा 7½ डीसमील जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के एल0ए0 वाद सं0–37/1967–68 के द्वारा विधिवत् 216.00 (दो सौ सौलह) रूपया क्षतिपूर्ति की राशि भुगतान जमीन मालिक को किया गया है तथा अपीलकर्त्ता शंकर प्रसाद को दखल–कब्जा दिलाते हुए अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा को दामिन बाजार पट्टा निर्गत करने का आदेश दिनांक 12.08.1968 को दिया गया है। तदोपरान्त दिनांक 16.08.1968 को पट्टा निर्गत किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता द्वारा उपायुक्त, दुमका के न्यायालय में रिम0 मिस अपील वाद सं0–23/1968–69 दायर किया गया था। जो अपर उपायुक्त, दुमका के द्वारा दिनांक 06.07.1968 को अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करते हुए विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के आदेश सम्पुष्ट किया गया है। अपर उपायुक्त, दुमका के इस आदेश के विरूद्ध अपीकर्त्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता के द्वारा माननीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

के न्यायालय में एस0पी0रिभ0मिसलेनियस रिवीजन नं0–71/1968–69 दायर किया गया था। जिसमें माननीय आयुक्त के द्वारा अपने आदेश में अपीलकर्त्ता के रिवीजन आवेदन को यह कहते हुए खारिज किया गया कि वर्णित भूमि के बगल में आवेदक (आपत्तिकर्त्ता) का होमियोपैथिक डिस्पेन्सरी एवं आवासीय मकान है। मौजा के 16 आना रैयत के द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का मात्र कुछ ही जमीन जो बसौड़ी के लिए शिवशंकर गुप्ता को दिया गया है, के विरूद्ध आपत्ति है। माननीय आयुक्त द्वारा आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालयों के आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।

विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा आर0ई0आर0 वाद सं0– 34/2002–03 में दिनांक 23.12.2005 को पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के पक्ष में दिये गये अधिग्रहण वाद तथा उसके विरूद्ध उपायुक्त, दुमका के न्यायालय में दायर अपील तथा माननीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल के न्यायालय में दायर रिवीजन के संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं करते हुए आदेश पारित किया गया है। जबकि उनके न्यायालय में उत्तरकारियों (निम्न न्यायालय में आवेदक) के द्वारा अपने आवेदन में वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने साथ न्यायालय से संबंधित आदेश की प्रति दाखिल किया गया है।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा वस्तुस्थिति को नजरअन्दाज करते हुए आदेश पारित किया गया है। उत्तरकारियों के द्वारा आपत्ति आवेदन भूमि अधिग्रहण की वर्ष 1968 के विरूद्ध वर्ष 2003 में दाखिल किया गया है, जो 35 वर्ष के दरम्यान है एवं कालबाधित है। अतः अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.05 16:28:21 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner